



प्रेषक,
सुबास राम,
सयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5

लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2026

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-31-00-26 "लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना" के अन्तर्गत अंतर्गत जनपद बागपत, हापुड, बुलन्दशहर, मेरठ, बांदा, कानपुर नगर, संत रविदास नगर (भदोही), महोबा, बिजनौर, इटावा, जालौन, झांसी एवं मुजफ्फरनगर के कुल 51 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-31-00-26 "लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना" के अन्तर्गत अंतर्गत जनपद बागपत, हापुड, बुलन्दशहर, मेरठ, बांदा, कानपुर नगर, संत रविदास नगर (भदोही), महोबा, बिजनौर, इटावा, जालौन, झांसी एवं मुजफ्फरनगर के कुल 51 कार्यों हेतु आगणन लागत **रु0 216.73 लाख** की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि **रु0 216.73 लाख (रु0 दो करोड़ सोलह लाख तिहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नांकित तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	आगणन लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
(धनराशि रु0 लाख में)					
1	502जी/9(सोलर पैनल)बी0पी0-विंग/2026, दिनांक-14.08.2026	बागपत/वि0या0 खण्ड मेरठ	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, बागपत) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	9.19	9.19
2	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड-	2.70	2.70

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			बागपत) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।		
3	तदैव	हापुड/ वि०या० खण्ड मेरठ	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (ट्रांजिट हॉस्टल, हापुड) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	2.70	2.70
4	तदैव	तदैव/वि०या० खण्ड मेरठ	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन धौलाना) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	2.70	2.70
5	तदैव	तदैव/वि०या० खण्ड मेरठ	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन गढमुक्तेश्वर (नया)) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	10.81	10.81
6	तदैव	तदैव/वि०या० खण्ड मेरठ	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन चित्तौली) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	2.70	2.70
7	तदैव	बुलन्दशहर/ वि०या० खण्ड मेरठ	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खुर्जा) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	3.24	3.24
8	तदैव	तदैव/ वि०या० खण्ड मेरठ	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, खुर्जा) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	2.70	2.70
9	तदैव	तदैव/वि०या० खण्ड मेरठ	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, डिबाई) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	2.70	2.70
10	504जी/9(सोलर पैनल)बी०पी०-	बुलंदशहर/ वि०या० खण्ड मेरठ	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, स्याना) पर	2.70	2.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	विंग/2026, दिनांक- 14.08.2026		सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।		
11	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, सिकन्दाबाद) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	2.70	2.70
12	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, बुलन्दशहर) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	6.49	6.49
13	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	6.49	6.49
14	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, अनूपशहर) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.08	1.08
15	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड बुलन्दशहर) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	8.11	8.11
16	तदैव	मेरठ/वि०या० खण्ड मेरठ	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (ऑफिसर्स हॉस्टल, लो०नि०वि०, मेरठ) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	2.70	2.70
17	505(1)जी/9(सोलर पैनल)बी०पी०- विंग/2026, दिनांक- 16.08.2026	बांदा/ वि०या० खण्ड बांदा	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय भवन, प्रान्तीय खण्ड बांदा) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	5.41	5.41
18	तदैव	तदैव	कार्यालय निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग बांदा पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	6.49	6.49

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

19	तदैव	कानपुर नगर/ वि०या० खण्ड कानपुर नगर	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, बिल्हौर) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.62	1.62
20	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, शिवराजपुर) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	2.16	2.16
21	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-भवन, कानपुर नगर) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	3.78	3.78
22	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय भवन राष्ट्रीय मार्ग वृत्तीय कार्यालय, कानपुर नगर) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	3.78	3.78
23	तदैव	संतरविदास नगर/ वि०या० खण्ड वाराणसी	लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, संतरविदास नगर में सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	10.81	10.81
24	522जी/9(सोलर पैनल)बी०पी०-विंग /2026 दि० 15.08.2026	बिजनौर/ वि०या० खण्ड मुरादाबाद	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय भवन/ निरीक्षण भवन, नजीबाबाद) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	4.33	4.33
25	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, लो०नि०वि०, नगीना) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	4.87	4.87
26	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, लो०नि०वि० अफजलगढ़) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.08	1.08

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

27	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (रेस्ट हाउस, लो0नि0वि0, स्योहारा) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.08	1.08
28	तदैव	इटावा/वि0या0 खण्ड कानपुर	जनपद इटावा स्थित अधिशासी अभियंता प्रांतीय खण्ड के कार्यालय में सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	8.11	8.11
29	तदैव	तदैव	जनपद इटावा में ब्लाक सैफई के अंतर्गत निरीक्षण भवन में सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	8.11	8.11
30	तदैव	तदैव	जनपद इटावा में ब्लाक सैफई के अन्तर्गत निरीक्षण भवन, सैफई, हवाई पट्टी में सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	8.11	8.11
31	525जी/9(सोलर पैनल)बी0पी0-विंग/2026, दिनांक-14.08.2026	जालौन/वि0या0 खण्ड झाँसी	जालौन के निरीक्षण भवन में सोलर रूफटॉप पैनल लगाना।	2.70	2.70
32	तदैव	तदैव	निर्माण खण्ड-2 पी0डब्लू0डी0 उरई (जालौन) में सोलर रूफटॉप की स्थापना।	2.70	2.70
33	तदैव	तदैव	प्रांतीय डिवीजन पी0डब्लू0डी0 उरई (जालौन) में सोलर रूफटॉप की स्थापना।	5.40	5.40
34	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवन (निर्माण खण्ड-3, उरई) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	2.16	2.16
35	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवन (निर्माण खण्ड-1, उरई) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	3.24	3.24
36	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवन (निरीक्षण भवन, उरई) पर	5.40	5.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।		
37	तदैव	झांसी/ वि०या० खण्ड झांसी	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवन (निरीक्षण भवन, बबीना) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.08	1.08
38	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवन (निरीक्षण भवन, समथर) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.08	1.08
39	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवन (निरीक्षण भवन, परसा) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.08	1.08
40	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवन (निरीक्षण भवन, मोठ) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.08	1.08
41	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवन (निरीक्षण भवन, झांसी) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	4.87	4.87
42	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवन (निरीक्षण भवन, मऊरानीपुर) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	4.87	4.87
43	तदैव	मुज्जफरनगर/ वि०या० खण्ड सहारनपुर	कार्यालय भवन प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, मुज्जफरनगर पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	3.24	3.24
44	503जी/9(सोलर पैनल)बी०पी०-विंग/2026, दिनांक-14.08.2026	बस्ती/ वि०या० खण्ड बस्ती	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	8.11	8.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

45	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	8.11	8.11
46	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय निर्माण खण्ड-1, बस्ती) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	7.03	7.03
47	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, रूधौली) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	2.70	2.70
48	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, सोनहा) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.62	1.62
49	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (कार्यालय प्रान्तीय खण्ड, बस्ती) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	8.11	8.11
50	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, विक्रमजोत) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.08	1.08
51	तदैव	तदैव	लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों (निरीक्षण भवन, हरैया) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना का कार्य।	1.62	1.62
योग:-				216.73	216.73

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत कार्य हेतु लो०नि०वि० चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) प्रश्नगत कार्य की निविदा में प्राप्त बचत की धनराशि को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।
- (5) प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (6) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रनओवर/टाइम रनओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (7) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खातों में नहीं रखी जायेगी।
- (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (10) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- (11) उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (12) प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।
- (13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (15) विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (16) समस्त मुख्य/क्षेत्रीय अभियन्ता उक्त स्वीकृत समस्त कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र 02 माह में मुख्यालय, लो0नि0वि0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,16,73,000 (रुपये दो करोड़ सोलह लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 4059800513100 "लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना, मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 136/2026/आई-1445091/001-551 आ0(1)/23-5-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
- 3- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, 30प्र0 शासन।
- 4- सम्बंधित जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 5- निदेशक, कोषागार, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, 30प्र0 लखनऊ।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।